राजस्व अपील संख्या 240 / 2025
जीसीएमस संख्या 2025 / 742

न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस

राजस्व अपील सं. 240 / 2025
जीसीएमएस सं. 2025 / 742

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1.दिनेश पुत्र वैधमल मालू जाति ओसवाल निवासी जी 90 शास्त्रीनगर, जोधपुर व अन्य		1. विमलादेवी डोसी पत्नी मांगीलाल डोसी जाति ओसवाल निवासी आकाशदीप काम्पलेक्स सरदारपुरा डी रोड़ जोधपुर व अन्य

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1335 दिनांक 07.03.2007 जो तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थितिः–

1. अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार चौधरी
2. प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता शैतानराम चौधरी

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

निर्णय

दिनांक 05.03.2026

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की खरीदसुदा कृषि भूमि खसरा नं. 775 / 34 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 775 / 36 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा, कुल खसरा दो कुल रकबा 17 बीघा 15 बिस्वा भूमि वाके ग्राम शोभावतों की ढाणी तहसील व जिला जोधपुर में से अपीलार्थीगण ने 8 बीघा भूमि दिनांक 11.09.2003 को रजिस्टर्ड बेचाननाम के जरिये मुकेश सिंहल पुत्र मोतीलाल जाति अग्रवाल निवासी जोधपुर ठिकाना सरार्फा बाजार जोधपुर बहैसियत स्वंय एवं आम मुख्त्यार श्री गजेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल जाति अग्रवाल निवासी ग्राम बाली तहसील व जिला जोधपुर वगैरा से खरीद की जो बेचाननामा उपपंजीयक प्रथम जोधपुर के कार्यालय में दिनांक 23.09.2003 को पुस्तक संख्या प्रथम, जिल्द संख्या 38 पृष्ठ संख्या 64 क्रम संख्या 7464 पर पंजीबद्ध किया गया। हाल ही में अपीलार्थीगण द्वारा पटवारी

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

हल्का जोधपुर के पास गये तो पटवारी ने राजस्व रेकर्ड देखकर बताया कि आपका नाम जमाबन्दी में इन्द्राज नही है तथा उक्त खसरों में प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का नाम सम्पूर्ण खाते में इन्द्राज है व अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण में इन्द्राज नही कर सकता हूं। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के नाम 8 बीघा कृषि भूमि का बैचाननामा दिनांक 21.07.2006 को पंजीबद्ध हुआ है जबकि अपीलार्थीगण ने 29.09.2003 को खरीद की थी। उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण की कार्यवाही तहसीलदार कार्यालय जोधपुर में की थी, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण अपीलार्थीगण का नामान्तरकरण नही भरा गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का नामान्तरकरण भरते समय सम्पूर्ण खाता का इन्द्राज कर दिया गया। पटवारी हल्का ने म्यूटेशन भरते समय बैचाननामा में वर्णित भूमि की जांच किये बगैर नामान्तरकरण भरकर स्वीकृत करवा लिया इसलिए नामान्तरकरण संख्या 1335 व उसके बाद की समस्त प्रविष्टियां शुरू से शून्य होने के कारण किसी भी तरह का स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण खारिज किये जाने योग्य है। जब 8 बीघा कृषि भूमि का पूर्व में ही बेचान हो गया है तो सम्पूर्ण कृषि भूमि का नामान्तरकरण पटवारी हल्का ने स्वीकृत किया गया जो विधि विरूद्ध है, इस आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1335 अपास्त व निरस्त योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा अपील के अंत में अपीलार्थीगण के नाम 8 बीघा भूमि का नामान्तरकरण भरने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया तथा अपील को म्याद सुमार करने हेतु धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र को भी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोन्डेंट संख्या 01 से 04 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब अपील प्रस्तुत किया गया। जवाब अपील के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अपील का पद संख्या 01 सही व स्वीकार है। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपील के आधार का जवाब में बताया गया कि प्रत्यर्थी संख 1 से 4 का नाम नामान्तरकण स्वीकृत कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया है, जिसमें सम्पूर्ण खाते का खातेदार प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 को बना दिया गया है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 ने 9 बीघा 8 बिस्वा कृषि भूमि ही खरीद की है, जो सही एवं स्वीकार है। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज करवा लिया, इसलिए नामान्तरकरण संख्या 1335 व उसके बाद की समस्त प्रविष्टियां शुरू से शून्य होने कारण किसी भी तरह का स्वीकृत किया गया नामान्तरकरण खारिज किय जाने योग्य है, जो प्रत्यर्थीगण को स्वीकार है। कृषि भूमि का नामान्तरकरण पटवारी हल्का ने स्वीकृत किया गया है जो विधि विरूद्ध है, इस आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1335 अपास्त व निरस्त किया जावे जिसमें प्रत्यर्थीगण को किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है। जवाब अपील के अंत में म्युटेशन संख्या 1335 को खारिज कर नये सिरे से नामान्तरकरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

राजस्व अपील संख्या 240 / 2025
जीसीएमस संख्या 2025 / 742

हमने प्रस्तुत अपील एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रत्यर्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता नामान्तरकरण संख्या 1335 के गलत होने का तथ्य स्वीकार किया गया तथा नामान्तरकरण को अपास्त किये जाने पर किसी प्रकार आपत्ति नही होने की सहमति दी गई। अतः अपीलार्थीगण का धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जोधपुर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1335 दिनांक 07.03.2007 को निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार जोधपुर को आदेशित किया जाता है कि दोनो पक्षकरान से कृषि भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर सुनवाई करते हुए विधिवत नियमानुसार नामान्तरकरण इन्द्राज की कार्यवाही करे।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित RAS)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

आदेश आज दिनांक 05.03.2026 को सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित RAS)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर